

सेवा में,

प्रबन्धक

ओम इण्टरनेशनल स्कूल मोलनापुर, अहमद बक्श फुलेश,  
मार्टीनगंज-आजमगढ़।

विषय:- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आप के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्कर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं ओम इण्टरनेशनल स्कूल मोलनापुर, अहमद बक्श, फुलेश, मार्टीनगंज-आजमगढ़ को दिनांक 01 जुलाई 2017 से दिनांक 30.06.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल0के0जी0 से 8 तक के लिए अनन्तितम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ :-

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है :-

- 1:-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2:-विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपबन्ध-1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3:-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थस्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4:-पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5:-सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6:-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - ❖ अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
  - ❖ अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7:-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8:-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाये निम्नानुसार है :-

कुल निर्मित क्षेत्र

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय

पेयजल

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई घर

बाधा रहित पहुँच

अभ्यापन पठन रागरी/क्रीडा खेलपूरा उपस्थानों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

9:-विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं चलाई जायेगी।

10:-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11:-विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12:-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13:-विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा सप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14:-आपके विद्यालय को आवंटित कोड संख्या (वर्ष-2017/48) है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15:-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16:-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, तो सुनिश्चित किया जाय।

17:-विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18:-शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी का शासन द्वारा अनुमन्य पद ही मान्य होगा।

19:-संलग्नक अनुलग्नक के अनुसार अन्य शर्तें।

भवदीय



(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

 आजमगढ़।

पृ०सं०:मान्यता / — /2018-19

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-अपर शिक्षा निदेशक (बे०) शिक्षा निदेशकालय उ०प्र० इलाहाबाद।

2-सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

4-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रेषक,

सुनील कुमार  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (वेसिक)  
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-437/79-6-2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15-12-2012, दिनांक 12-02-2013 एवं दिनांक 30-04-2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए सन्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठावेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं लिया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

अप/

- (4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।
- (5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवनों की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप विद्यालय भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आर.ई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :-

1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन-अवर अभियन्ता,
2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय -सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व तंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियों जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों, नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार बनायी गयी हो ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

- (6) विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति/अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की स्थिति अथवा अन्य आकस्मिक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।

- (7) नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त असहायतित विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

## (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्त :-

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के कम में निर्गत उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

- (क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।
- (ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
- (ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा माननीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (घ) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।
- (ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
- (च) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (छ) विद्यालय का खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही निरीक्षण किया जा सकेगा।
- (ज) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
- (ञ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में शिक्षा निदेशक (बे0) का आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
- (ट) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। कमियों का निराकरण निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से 03 वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है, और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

**(3) मान्यता समिति :-**

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता हेतु मण्डल स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जो निम्नवत् होगी :-

- |                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| 1- सम्बन्धित सहायक शिक्षा निदेशक, (बेसिक) | अध्यक्ष    |
| 2- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी    | सदस्य सचिव |
| 3- जनपद का वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी   | सदस्य,     |

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

**(4) अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल)- अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्त:-**

**आवेदन की अर्हता**

शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं :-

- (1) प्री-प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर (प्राइमरी स्तर के पूर्व की दो कक्षाएँ तथा कक्षा-1 से 5 तक की कक्षाएँ)।
- (2) प्राइमरी स्तर (कक्षा-1 से 5 तक)।
- (3) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाएँ तथा कक्षा-1 से 8 तक की कक्षाएँ)।

**(5) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :-**

(1)-निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत की जाने वाली नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) प्राप्त किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रस्तर-4 के बिन्दु (1) व (2) पर अंकित स्तरों की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क ₹0 2000/- तथा क्रमांक-3 पर अंकित प्रस्तर की मान्यता के लिए आवेदन शुल्क ₹0 3000/- सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा सगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)- विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में ₹0 10000/- (₹0 दस हजार मात्र) की एन0एस0सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज्ड होगी।

(3)- आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो कमियाँ पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय की आपत्तियों सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

#### (6) वित्तीय शर्तें

मान्यता की उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी अनिवार्य होगा।

(क) विद्यालय का संदान ₹0 20,000/- मूल्य की धनराशि का होगा। वह, संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा :-

- (1) नकद धनराशि।
- (2) सरकारी जमानत।
- (3) अचल सम्पत्ति।

#### टिप्पणी :-

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति

के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति के बेचने तथा तदर्थ विधि-पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा रु0 5000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

### (7) मान्यता

आवश्यकता:- (1) विद्यालय को मान्यता तभी प्रदान की जायेगी जब विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत् होना अपेक्षित है :-

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| (क) प्री-प्राइमरी तथा प्राइमरी                  | 200 (07 कक्षाएँ) |
| (ख) प्राइमरी                                    | 150 (05 कक्षाएँ) |
| (ग) प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल | 275 (10 कक्षाएँ) |
| (घ) प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल                | 225 (08 कक्षाएँ) |

प्रदेश के शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की न्यूनतम छात्र संख्या क्षेत्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निश्चित की जायेगी।

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन0सी0ई0आर0टी0/एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा निर्धारित अथवा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का पठन-पाठन न कराया जाय और किसी विशेष प्रकाशन की स्टेशनरी का क्रय किये जाने हेतु छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालय का नाम मुद्रित कराकर क्रय हेतु बाध्य किया जाय, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

20/

(8) भौतिक संसाधन(1) भवन

- (क) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।
- (ख) मान्यता के लिये प्राथमिक/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चों कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्रों को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।
- (ग) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग-अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।
- (घ) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (ङ) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (च) विद्यालय भवन का बाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(2) क्रीड़ा स्थल

खेलकूद के लिये यथा संभव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीड़ा क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, बालीबॉल, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, खो-खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हों।

विशेष :-

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आवादी वाले नगर क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जहाँ स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। क्रीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

(3) साज-सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र/छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बेंच, मेजें तथा अध्यापकों के लिए कुर्सी, मेज उपलब्ध होने चाहिए।

(4) पुस्तकालय

प्राथमिक विद्यालयों कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषय की कक्षा-5 तक की पुस्तकें तथा जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा-8 तक की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद प्रस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की जा सकती है।

(5) विज्ञान सामग्री

विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए।

(6) शिक्षण सामग्री

प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने चाहिए।

(9) मानव संसाधन

स्टाफ वेतनमान, सेवा शर्तें

(क) प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक के शिक्षण के लिए उ0प्र0 निःशुल्क ओर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-8 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अर्हताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्षा हेतु विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) विद्यालय में आवश्यकतानुसार लिपिक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी आवश्यक है। चौकीदार, आया एवं सफाई कर्मचारी की अंशकालिक नियुक्ति मान्य की जा सकती है। शेष सभी शिक्षक, शिक्षणेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णकालिक होना आवश्यक है।

(ग) विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धाधिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संविधान एवं विधि सम्मत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

सेवा नियमावली में अवकाश, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

प्रबन्धाधिकरण के सक्षम अधिकारी एवं विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों (प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी) के मध्य विधि मान्य सेवा अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा और जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराना होगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।

### शुल्क

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :-

- 1- शिक्षण शुल्क, 2- महंगाई शुल्क, 3- विकास शुल्क, 4- विजली पानी आदि, 5- पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6- विज्ञान शुल्क, 7- श्रव्य शुल्क, 8- क्रीड़ा शुल्क, 9- परीक्षा/मूल्यांकन, 10- विद्यालय समारोह/उत्सव, 11- विशेष विषयों की शिक्षा-कम्प्यूटर / संगीत आदि।

### नोट :-

- 1- पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।
- 2- मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होगा।
- 3- विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

### (10) शैक्षिक सत्र 2013-14 की मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी :-

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/संक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लभित हैं, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक नतीन मान्यता विषयक शर्तों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोट:- जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु

कमियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

**(11) शैक्षिक सत्र 2014-15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों के लिए मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:-**

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार स्वघोषणा-सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण समय-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:-

|    |                                                                                                                                                                      |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।                                                                                                | 01 जुलाई से 31 अगस्त     |
| 2. | प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना।                                                                                                   | सितम्बर प्रथम सप्ताह     |
| 3. | आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण                                                                                                                                 | 15 सितम्बर से 31 अक्टूबर |
| 4. | सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्तें पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।                                                                      | नवम्बर से दिसम्बर        |
| 5. | आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावेदन स्वीकार करना।                                                                                                                           | जनवरी-फरवरी              |
| 6. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना। | मार्च                    |
| 7. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।                                                                                                             | 31 मई तक                 |

नोट:- मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेंगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

**(12) मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-**

शैक्षिक सत्र 2014-15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आन लाईन होगी, जिसके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

**(13) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण :-**

जहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदत्त

0088

2/2/15

किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुरावी में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (क)- विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।
- (ख)- निर्धारित अवधि में यदि विद्यालय प्रवन्धतंत्र से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन की अवधि में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलित होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक माह (01) की अवधि में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
- (ग) समिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता समिति का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।
- (घ) मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के 07 दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (speaking order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

2021

(14) मूल अधिनियम-2009 एवं अधिनियम-2012 की धारा-1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असाहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

15/ (15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों/शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।  
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,  
01/05/23  
(सुनील कुमार)  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

अप/

आज्ञा से,  
(ममता श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव।

# अब तीन साल बाद स्वतः स्थाई होगी मान्यता

जासं, वाराणसी: बेसिक शिक्षा विभाग से अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को स्थाई मान्यता के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीन साल बाद स्वतः उन्हें स्थाई मान लिया जाएगा। बशर्ते उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप या प्रतिकूल प्रविष्टि न हो।

बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में पहले तीन वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता देता है। तीन वर्ष बाद स्थाई मान्यता के लिए निजी विद्यालयों को दोबारा आवेदन करना पड़ता था। ऐसे में उन्हें एक बार फिर मान्यता संबंधित समस्त पत्रावलियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जमा करनी पड़ती थी। मान्यता समिति की संस्तुति के बाद निजी विद्यालयों को स्थाई मान्यता जारी की जाती थी। जनपद में ऐसे करीब सौ विद्यालयों की स्थाई वैधता की मान्यता 30 जून-2021 को समाप्त हो गई थी।

इन विद्यालयों ने स्थाई मान्यता के लिए बीएसए कार्यालय में प्रार्थना पत्र भी दिया है। यही नहीं तमाम विद्यालय अब भी स्थाई मान्यता के लिए बीएसए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अब उन्हें बीएसए कार्यालय की छीड़ दफ्तार की जरूरत

## निजी विद्यालय

- अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं
- गंभीर आरोप या प्रतिकूल प्रविष्टि न होने पर ही मिलेगा इसका लाभ

## न्यूनतम पांच केंद्रों पर हो मोहल्ला क्लास का संचालन

जासं, वाराणसी : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इसमें विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए बीएसए ने कई निर्देश दिए। सभी खंड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक को निर्देशित किया कि हंड्रेड डेज कैंपेन का वृहद आयोजन विद्यालय के समीप क्षेत्रों में कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय के समीप कम से कम पांच केंद्रों पर मोहल्ला कक्षाओं का आयोजन कराया जाए।

नहीं हैं। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि आरटीई में अब अस्थाई मान्यता का प्रावधान खत्म कर दिया है। मान्यता की शर्तों में इसका स्पष्ट उल्लेख भी है। ऐसे में जिन विद्यालयों को मान्यता मिली है उन्हें नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है।